E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 2535 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, अप्रैल 15 ,2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– **जनपद चमोली में अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 06 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**
प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/146204/2021

सन्दर्भ– **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/17/2022/एफ0सी0 1582 दिनांक 16.02.2023**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 5159/12–1 दिनॉक 10.04.2023(संलग्न) से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा चाही गई सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर ने अपने पत्रांक 332/1सी0 वन दिनांक 10.03.2023 से निम्नप्रकार प्रेषित किया गया है:–

क्र0	भारत द्वारा चाही गयी सूचना	आख्या
1	उपरोक्त मौजूदा मार्ग से प्रस्तावित ग्राम की दूरी मात्र 150 मीटर है। परन्तु, यह स्पष्ट नहीं है कि ग्राम को मौजूदा मार्ग से जोड़ने हेतु 3 किमी के मार्ग के निर्माण की आवश्यकता क्यों है। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक संस्थान प्रस्तावित संरेखण से जुड़े हुए प्रतीत नहीं होते हैं। साथ ही, प्रस्तावित मार्ग घने वन क्षेत्र से जा रहा है। जो कि वनस्पति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ग्राम के दूसरी (उत्तरी) ओर से पूर्व से ही एक मार्ग मौजूद है तथा यदि आवश्यक हो तो उस ओर से मार्ग को प्रस्तावित किया जा सकता है। आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में अभिलेख/दस्तावेज/टीप इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 5159/12–1 दिनॉक 10.04.2023 से अवगत कराया गया है कि– 1–लाभान्वित होने वाले गॉव कोलाडुंग्री ऊपर स्थित कर्णप्रयाग–नैनीसैंण मोटर मार्ग से ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी 150 मी0 के लगभग है न कि हवाई दूरी। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 8167/।।।(2)/16–15(सामान्य)/2018 दिनांक 31.12.2018 (संलग्न–1) के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में 100 मी0 ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी वाले गॉव सें संयोजित करने की आवश्यकता है। Indian Road Congress Special Publication 20 के Rural Road Manual (संलग्न–2) के अनुसार Mountainous Terrian में मोटर मार्ग की Ruling Gradient (Longitutdinal Grade) 5% अर्थात 1:20 होना चाहिए, अतः 150 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊचाई में मार्ग निर्माण हेतु 150×20=3000 मीटर अर्थात् 3 कि0मी0 मोटर मार्ग की आवश्यकता होगी। ग्राम के उत्तरी ओर मौजूद कर्णप्रयाग–नैनीसैण मोटर मार्ग से उक्त गॉव को मोटर मार्ग से उक्त गॉव को मोटर मार्ग निम्न कारणों से प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है– (i) मौजूदा कर्णप्रयाग–नैनीसैंण मोटर मार्ग से उक्त गांव को मोटर मार्ग ग्राम–विडोली एवं फलोटा से निकाला जा सकता है परन्तु प्रारम्भिक सर्वे के दौरान ही ग्राम–विडोली एवं फलोटा के भूमिधारकों द्वारा अपनी भूमि उक्त मोटर मार्ग में देने से मना कर दिया गया। अत्यधिक समय व्यतीत हो जाने एवं कई प्रयास के बावजूद उनके द्वारा अनापत्ति पत्र नहीं दिया गया। (संलग्न–3)

क्रमशः पेज 02 पर

JAIDEEP

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

		(ii) यदि उक्त मोटर मार्ग से लाभान्वित होने वाले गॉव को जोडा भी जाता है तो भी 1:20 के Longitutdinal Grade पर मार्ग की लम्बाई लगभग, 3.00 किमी0 से भी अधिक की आवश्यकता होती, जो कि प्रस्तावित संरेखण (डिम्मर सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक) की लम्बाई 2.225 किमी0 से ज्यादा है। इसके अतिरिक्त ऊपर स्थिति Existing कर्णप्रयाग–नैनीसैंण मोटर मार्ग से लाभान्वित गॉव को मार्ग निर्माण करने पर कई H.P Bend की आवश्यकता पड़ेगी एवं सुझाये गये Alignment में Hill site cutting के दौरान गॉव नीचे होने के कारण खतरा उत्पन्न हो सकता है जो कि तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। (2) प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरेखण का दिनांक 26.11.2022 को प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा प्रस्तावक विभाग लो0नि0वि0 गौचर के प्रतिनिधि के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। (संलग्न–4 फोटोग्राफ) जिसमें स्पष्ट पाया गया है कि शैक्षणिक संस्थान जूनियर हाईस्कूल कोलाडुंग्री पूर्ण रूप से प्रस्तावित मोटर मार्ग से जुड़ जायेगा एवं प्राथमिक विद्यालय कोलाडुंग्री को भी मोटर मार्ग से संयोजकता प्राप्त हो जायेगी। स्थल को जोड़ा जाना एक Obligatory Point है। (3) प्रस्तावित मार्ग मात्र 0.3 हरियाली घनत्व क्षेत्र से होकर गुजर रहा है जिसमें प्रभावित वृक्षों की संख्या 121 है एवं उसमें से 118 वृक्ष चीड़ के है। प्रस्तावित संरेखण में आ रहे वन भूमि के हरियाली घनत्व 0.3 के सम्बन्ध में पूर्व में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के पत्रांक 1897 / 12–1 दिनांक 14.10.2022 से पत्र प्रेषित किया गया है। (संलग्न–5)

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

O/C

JAIDEEP

|| कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ||

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 5159 / 12-L   दिनांक, गोपेश्वर, 10/4/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषयः— जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर—सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण हेतु चर्चा के सम्बन्ध में।(Online No- FP/UK/ROAD/146204/2021).

संदर्भः— भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/17/2022/1582 दिनांक 16.02.2023.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा प्रस्ताव में चाही गयी सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर ने अपने पत्रांक 332/1सी0 वन दिनांक 10.03.2023(संलग्न) से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी, जो इस कार्यालय की पत्र सं0 4764/12—1 दिनांक 20.03.2023 से आपको प्रेषित की गयी, जिसे संशोधन कर पुनः आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:—

क0सं0	भारत सरकार चाही सूचना	उत्तर
	उपरोक्त मौजूदा मार्ग से प्रस्तावित ग्राम की दूरी मात्र 150 मीटर है। परन्तु, यह स्पष्ट नहीं है कि ग्राम को मौजूदा मार्ग से जोड़ने हेतु 3 कि0मी0 के मार्ग के निर्माण की आवश्यकता क्यों है। इस के अतिरिक्त, शैक्षणिक संस्थान प्रस्तावित संरेखण से जुडे हुए प्रतीत नहीं होते हैं। साथ ही, प्रस्तावित मार्ग घने वन क्षेत्र से जा रहा है जो कि वनस्पति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ग्राम के दूसरी (उत्तरी) ओर से पूर्व से ही एक मार्ग मौजूद है तथा यदि आवश्यक हो तो उस ओर से मार्ग को प्रस्तावित किया जा सकता है। आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में अभिलेख/दस्तावेज/टीप इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	**(1)** लाभान्वित होने वाले गॉव कोलाडुंग्री ऊपर स्थित कर्णप्रयाग—नैनीसैंण मोटर मार्ग से ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी 150 मी0 के लगभग है न कि हवाई दूरी। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 8167/III(2) /16—15 (सामान्य)/2018 दिनांक 31.12.2018 **(संलग्न—1)** के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में 100 मी0 ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी वाले गॉव ही मोटर मार्ग से संयोजित माने जाये के अनुसार उक्त गॉव मोटर मार्ग से संयोजित करने की आवश्यकता है। Indain Road Congress Special Publication 20 के Rural Road Manual **(संलग्न—2)** के अनुसार Mountainous terrain में मोटर मार्ग की Ruling Gradient (Longitudinal Grade) 5 % अर्थात 1:20 होना चाहिए, अतः 150 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊचाई में मार्ग निर्माण हेतु:—150 x 20 = 3000 मीटर अर्थात् 3 कि0मी0 मोटर मार्ग की आवश्यकता होगी। ग्राम के उत्तरी ओर मौजूद कर्णप्रयाग—नैनीसैंण मोटर मार्ग से उक्त गॉव को मोटर मार्ग निम्न कारणो से प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है— **(i)** मौजूदा कर्णप्रयाग—नैनीसैंण मोटर मार्ग से उक्त गॉव को मोटर मार्ग ग्राम—विडोली एवं फलोटा से निकाला जा सकता है परन्तु प्रारम्भिक सर्वे के दौरान ही ग्राम—विडोली एवं फलोटा के भूमिधारकों द्वारा अपनी भूमि उक्त मोटर मार्ग में देने से मना कर दिया गया। अत्यधिक समय व्यतीत हो जाने एवं कई प्रयास के बावजूद उनके द्वारा अनापत्ति पत्र नहीं दिया गया। (संलग्न—3)

Scanned with CamScanner

		(ii) यदि उक्त मोटर मार्ग से लाभान्वित होने वाले गॉव को जोड़ा भी जाता है तो भी 1:20 के Longitudinal Grade पर मार्ग की लम्बाई लगभग 3.00 कि0मी0 से भी अधिक की आवश्यकता होती, जो कि प्रस्तावित संरेखण (डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक) की लम्बाई 2.225 कि0मी0 से ज्यादा है। इसके अतिरिक्त ऊपर स्थित Existing कर्णप्रयाग–नैनीसैंण मोटर मार्ग से लाभान्वित गॉव को मार्ग निर्माण करने पर कई H.P. Bend की आवश्यकता पड़ेगी एवं आपके द्वारा सुझाये गये Alignment में Hill site cutting के दौरान गॉव नीचे होने के कारण गॉव को खतरा उत्पन्न हो सकता है जो कि तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। (2) प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरखेण का दिनांक 26.11.2022 को प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा प्रस्तावक विभाग लो0नि0वि0 गौचर के प्रतिनिधि के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया।**(संलग्न 4–फोटोग्राफ)** जिसमे स्पष्ट पाया गया है कि शैक्षणिक संस्थान जूनियर हाई स्कूल कोलाडुंग्री पूर्ण रूप से प्रस्तावित मोटर मार्ग से जुड़ जायेगा एवं प्राथमिक विद्यालय कोलाडुंग्री को भी मोटर मार्ग से संयोजकता प्राप्त हो जायेगी। स्थल को जोड़ा जाना एक Obligatory Point है। (3) प्रस्तावित मार्ग मात्र 0.3 हरियाली घनत्व क्षेत्र से होकर गुजर रहा है जिसमें प्रभावित वृक्षों की संख्या 121 है एवं उसमे से 118 वृक्ष चीड़ के है। प्रस्तावित संरेखण में आ रहे वन भूमि के हरियाली घनत्व 0.3 के सम्बन्ध में पूर्व मे प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर के पत्र सं0 1897/12–1 दिनांक 14.10.2022 से पत्र प्रेषित किया गया है।(संलग्न –5)

अतः उक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– / दिनांकित।
प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0 गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner